

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन

पीठासीन अधिकारी : सुश्री दिव्या सोनी, (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 06/11/2026

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल. आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल-जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि प्रस्तुत किये। प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ/अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 से संबंधित प्रतीत होती है तथा उक्त इस्तदुआ का निदान धारा 136 आरएलआर एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत निम्न प्रार्थना पत्र प्रकरण में ग्रहण किये जान योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 आरएलआर एक्ट 1956 में कवर नहीं होने से खारिज किये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	शुद्धि योग्य प्रविष्टी	ग्राम का नाम/ पटवार हल्का	खाता संख्या	अशुद्ध नाम / प्रविष्टी
2026/1 6/25	सुरेश कुमार दत्तक पुत्र मेवाराम पुत्र बन्नाराम जाट, निवासी-देवला	देवला / देवलीकलां	82	सुरेश कुमार दत्तक पुत्र मेवाराम निवासी-देवला D
2026/2 7/26	जसुदेवी पत्नि छोटूराम जाट निवासी-भगवानपुरा	भगवानपुरा / भगवानपुरा	143, 144, 145, 153, 190	रुकमादेवी पत्नि छोटूराम जाट निवासी-भगवानपुरा D
2026/3 8/25	पारा पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी नीमास	नीमास/ मुआना	40	तारा पुत्री रूपाराम जाति जाट निवासी-निमास D
2026/4 9/26	गणेशराम दत्तक पुत्र हरदेवाराम हिस्सा 817/8070	पिपराली / मूण्डगसोई	275	गणेशराम दत्तक पुत्र हरदेवाराम हिस्सा 3409/80700 D
2026/5 10/26	गुलाबी देवी पुत्री किशनाराम कुम्हार निवासी मीण्डा प्रेमदेवी पत्नि किशनाराम जाति कुम्हार निवासी मीण्डा	मीण्डा/ मीण्डा	169, 195	नानीबाई पुत्री किशनाराम जाति कुम्हार निवासी मीण्डा गोपालीदेवी पत्नि किशनाराम जाति कुम्हार निवासी मीण्डा D
2026/6 11/26	खसरा नं. 684 किस्म गै.मु. कुआ	गोरवपुरा	75	खसरा नं. 684 किस्म गै.मु. गुण D

यह आदेश आज दिनांक 06/11/2026 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(दिव्या सोनी, RAS)

उपखण्ड अधिकारी नावां

(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक : 06/11/2026

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/6-11

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां

(डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी नावां